भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3817

11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: **बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत**

3817. श्री गौरव गोगोईः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम में हाल ही में आई बाढ़ के कारण फसलों को हुए नुकसान पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान असम में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त, जलमग्न या कृषि के अयोग्य हो गई कृषि भूमि का कुल क्षेत्रफल और क्षतिग्रस्त फसलों का अनुमानित मूल्य वर्ष-वार कितना है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कुल कितने किसान प्रभावित हुए और उन्हें कितना वित्तीय नुकसान होने का अनुमान है;

(घ) क्या सरकार ने असम में हाल ही में आई बाढ़ के कारण हुई फसल के नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा या वित्तीय सहायता प्रदान की है अथवा प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित राशि और प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के माध्यम से संवितरण के लिए तंत्र और समय-सीमा, जहां कहीं लागू हो, क्या है;

(ङ) फसल क्षति का समय पर आकलन और प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति और बीमा दावों का संवितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) बार-बार आने वाली बाढ़ से होने वाली क्षति से कृषि भूमि का पुनरुद्धार करने और संरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): फसल क्षति और किसी आपदा के कारण प्रभावित किसानों से संबंधित डेटा का रखरखाव केंद्रीय रूप से नहीं किया जाता है। तथापि, असम सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि असम में हाल ही में आई बाढ़ के कारण खड़ी फसलों को हुए नुकसान का आकलन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन पोर्टल (डीआरआईएमएस) के माध्यम से फसलों के जलमग्न होने की सूचना और निगरानी की जाती है।

3 अगस्त, 2026 की डीआरआईएमएस पोर्टल रिपोर्ट के अनुसार, फसल जलमग्नता और प्रभावित जनसंख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	जिले का नाम	प्रभावित जनसंख्या (सं.)	फसल जलमग्नता (हेक्टेयर)
1.	**चराईदेव**	34050	7100
2.	**बिस्वनाथ**	78	98.008
3.	**धीमाजी**	8333	1108.86
4.	**गोलाघाट**	10201	1331
5.	**जोरहाट**	20209	376.28
6.	**लखीमपुर**	0	670
7.	**शिवसागर**	55200	3546
	कुल	**128071**	**14231.148**

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त कृषि फसल क्षेत्र का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है: -

वर्ष	***प्रभावित फसल क्षेत्र* (*हेक्टेयर में*)**
2021	11015.47
2022	126156
2023	18094.64
2024	40812.89
2025	7909.23

(घ) और (ङ): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, अधिसूचित आपदाओं के दौरान जमीनी स्तर पर आवश्यक राहत उपाय प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से राज्य सरकार जिम्मेदार है। राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) के रूप में उपलब्ध निधि से प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्य करती हैं। अतिरिक्त वित्तीय सहायता, जो एसडीआरएफ से प्रदान की जाने वाली सहायता के अतिरिक्त होती है, गंभीर प्रकृति की आपदा की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से प्रदान किए जाने पर विचार किया जाता है। इस प्रक्रिया में अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) द्वारा स्थल का आकलन तथा राज्य सरकार द्वारा एनडीआरएफ से वित्तीय सहायता हेतु प्रस्तुत ज्ञापन के आधार पर मूल्यांकन शामिल होता है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता नुकसान/दावे की भरपाई के लिए न होकर राहत के रूप में होती है।

वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 (15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान) के दौरान एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत असम को आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण ndmindia.mha.in पर उपलब्ध है। एमएचए द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एसडीआरएफ में राज्य के पास उपलब्ध शेष राशि 1851.06 करोड़ रुपये है। वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 (16वें वित्त आयोग के तहत) की अवधि के लिए असम के लिए 4660 करोड़ रुपये का आवंटन प्रदान किया गया है।

असम द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) कार्यान्वित की जा रही है (स्थापना के बाद अर्थात खरीफ 2016 से) । पिछले पांच वर्षों में असम राज्य में भुगतान किए गए दावों, बीमाकृत किसान आवेदनों और भुगतान किए गए किसान आवेदनों का विवरण निम्नानुसार है:

पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस: दिनांक 24.07.2026 तक की स्थिति के अनुसार असम की वर्षवार कवरेज एवं दावा रिपोर्ट (2021-22 से 2025-26)			
वर्ष	**नामांकित किसान आवेदनों की संख्या**	**भुगतान किए गए किसान आवेदनों की संख्या**	**किसानों को भुगतान किए गए दावे**
	(लाख में)		**(रुपये करोड़ में)**
2021-22	9.78	2.89	256.42
2022-23	4.9	0.26	21.15
2023-24	7.94	1.07	64.71
2024-25	11.85	1.45	95.63
2025-26	14.24	0.34	29.61
कुल (असम)	**48.7**	**6.01**	**467.52**

योजना के तहत दावों के समय पर निपटान को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- सरकार ने सब्सिडी भुगतान, सूचना का प्रसार, किसानों के ऑनलाइन नामांकन सहित सेवाओं के वितरण, व्यक्तिगत बीमित किसानों के अपलोड/प्राप्त विवरण और व्यक्तिगत किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि के अंतरण के लिए एकल डाटा स्रोत के रूप में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) का विकास किया है।

- दावा वितरण प्रक्रिया की सख्ती से निगरानी करने के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान के लिए 'डिजीक्लेम मॉड्यूल' नामक एक समर्पित मॉड्यूल को परिचालित किया गया है। इसमें सभी दावों का समय पर और पारदर्शी प्रोसेसिंग के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकरण शामिल है।
- खरीफ 2024 से, यदि बीमा कंपनी द्वारा दावा राशि का समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो एनसीआईपी के माध्यम से 12 प्रतिशत दंड स्वतः गणना कर लगाया जाता है।
- राज्य सरकारों से केंद्र सरकार की प्रीमियम सब्सिडी हिस्से को अलग करने की प्रक्रिया कार्यान्वित की गई है ताकि किसानों को केंद्र सरकार के हिस्से से संबंधित आनुपातिक दावे प्राप्त हो सकें।
- राज्य के हिस्से की सब्सिडी को जारी करने में देरी के लिए खरीफ 2025 में राज्य सरकार पर 12% जुर्माना भी लगाया गया है।
- वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए खरीफ 2025 सीजन से योजना के प्रावधानों के अनुसार उनके प्रीमियम हिस्से के अग्रिम जमा के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा एएससीआरओ खाते को खोलना अनिवार्य किया गया है।
- इसके अलावा, योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए, विभिन्न कदम जैसे सीसीई-एग्री ऐप के माध्यम से डेटा/क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स (सीसीई) डेटा को कैप्चर करना और इसे एनसीआईपी पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को सीसीई के संचालन को देखने की अनुमति देना, राज्य के भू-अभिलेखों को एनसीआईपी के साथ एकीकृत करना और यस-टेक के माध्यम से रिमोट सेंसिंग आधारित उपज अनुमान का उपयोग करना, किसानों को दावों के समय पर निपटान में सुधार के लिए पहले ही उठाया गया है।
- पीएमएफबीवाई के तहत व्यक्तिगत खेतों और भूमि पार्सल के लिए स्थानीयकृत आपदाओं/फसलोपरांत हानि हेतु फसल हानि आकलन की दक्षता को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने के लिए फसल हानि आकलन ऐप (क्लैप) को एक डिजिटल मोबाइल एप्लिकेशन के रूप में विकसित किया गया है। योजना के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्लैप का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है।

(चसंबंधित राज्य सरकारों द्वारा बाढ़ प्रबंधन और कटाव रोधी योजनाएं तैयार तथा कार्यान्वित की :(जाती हैं। केंद्र सरकार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बाढ़ के प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और संवर्धित वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए राज्यों के प्रयासों को पूरा करती है।

आर्थिक लागत पर बाढ़ के नुकसान से उचित स्तर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए संरचनात्मक और गैरसंरचनात्मक उपायों के विवेकपूर्ण मिश्रण को अपनाना एकीकृत बाढ़ दृष्टिकोण का उद्देश्य - है। लघु और दीर्घकालिक खाद्य शमन उपायों में वाटरशेड और जलग्रहण प्रबंधन, आर्द्रभूमि बहाली, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना और फ्लड प्लेन ज़ोनिंग शामिल हैं। केन्द्रीय सरकार बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी, जल निकासी विकास, एंटी सेरा इरोजन आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए एक केन्द्र प्रायोजित बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" कार्यान्वित कर रही है। एफएमबीएपी योजना के तहत मार्च "(एफएमबीएपी)2026 तक विभिन्न राज्यों को 9139.75 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

11वीं योजना के बाद से 142 परियोजनाओं के लिए असम राज्य सरकार को 1629.02 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। असम की 142 बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं को एफएमबीएपी योजना के तहत शामिल किया गया है, जिनमें से 111 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिससे 7.364 लाख हेक्टेयर भूमि और 174.52 लाख की जनसंख्या लाभान्वित हुई है। 30 परियोजनाओं को बंद कर दिया गया है।

कृषि विभाग, असम द्वारा बाढ़बार आने वाली बाढ़ से -प्रभावित कृषि भूमि की बहाली और बार-फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं।

(i) राज्य के सभी 35 जिलों के लिए जिला बाढ़ आकस्मिकता योजनाएं तैयार की गई हैं, जिसमें फसलवार आकस्मिकता उपायों का प्रावधान है।-वार और परिस्थिति-

(ii) पुनः बुआई और बाढ़सहिष्णु -सहिष्णु धान किस्मों सहित बाढ़-प्रभावित क्षेत्रों में जलमग्नता-अवधि वाली बीज किस्मों का वितरण।-और लघु

(iii) बाढ़ के कारण जिन किसानों की नर्सरियाँ क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उन्हें पौध उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक नर्सरियों की स्थापना एवं उनमें पौध तैयार करना।

(iv) प्रभावित जिलों में तत्काल तैनाती के लिए असम बीज निगम लिमिटेड के माध्यम (एएससीएल) से प्रमाणित बीज का एक बफर स्टॉक रखा जाता है।
